न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, सलुम्बर(राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	**रामेश्वर प्रसाद चौधरी, आर.जे.एस.** **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
सेशन प्रकरण संख्या	:	**61 / 2025**
सी.आई.एस. संख्या	:	08 / 2025
सीएनआर नंबर	:	RJSA01000144-2025

राजस्थान राज्य ....अभियोगी

बनाम

विनोद कुमार पिता प्रतापसिंह, जाति मीणा, उम्र 22 वर्ष,
निवासी–उगमणा कोटडा फला कदवाल, थाना ऋषभदेव, जिला–उदयपुर(राज.)
.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 306 भा.दं.सं. तथा धारा 67 आई.टी. एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री रणजीत पूर्बिया, राजकीय अभिभाषक–राज्य की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमार मीणा, अधिवक्ता–अभियुक्त की ओर से।

–::निर्णय::–

दिनांक : 27.05.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि–दिनांक 07.01.2024 को प्रार्थी मोहन ने थानाधिकारी, पुलिस थाना, सराडा के समक्ष बमुकाम सीएचसी, सराडा पर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की दी कि वह दिनांक 06.01.2024 को समाज में मौत होने से गांव बोरी में बैठने गया था। घर पर उसकी पुत्री कांता व अन्य तीन पुत्रियां थी। उसकी दूसरी पुत्रियां बकरी चराने गई थी। पीछे से उसकी पुत्री कांता ने अपने घर का किवाड बंद कर आत्महत्या कर ली, जिसका पता उसे सायंकाल लगा है, जिस पर उसने अपने गांव के मौतबीर व आस, पडौस के लोगों को एकत्रित किया और रात्रि को सराडा थाने पर फोन कर सूचना दी। उसकी पुत्री कांता का एक अश्लील फोटो व एक विडियो बनाया गया है, जिसको इंस्टाग्राम आईडी एमएसकेटीएम2023 से वायरल किया गया है, जिसका सदमा खाकर उसकी पुत्री ने आत्महत्या की है। उक्त इंस्टाग्राम आईडी यूजर ही उसकी

पुत्री की मृत्यु का जिम्मेवार है। प्रार्थनापत्र के साथ फोटो जो वायरल किया है, उसकी कलर फोटो व आईडी उसी पर लिखी है......वगैरा। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना, सराडा में मृग रिपोर्ट अंतर्गत धारा 174 सीआरपीसी में दर्ज की गई तथा जांच प्रारंभ की गई।

दौराने जांच दिनांक 22.04.2024 को प्रार्थी/परिवादी मोहनलाल ने पुलिस अधीक्षक, जिला सलूम्बर के समक्ष एक टाईपशुदा परिवाद प्र पी 6 इस आशय का पेश किया कि दिनांक 06.01.2024 को वह अपनी रिश्तेदारी में मौत हो जाने से गांव बोरी में बैठने के लिए गया हुआ था। पीछे घर पर उसकी चार पुत्रियां अकेली थी, जिसमें बडी पुत्री कांता घर पर थी तथा अन्य पुत्रियां जीवन, छाया, गुडिया बकरियों को चराने के लिए जंगल में गई हुई थी। इसी दरम्यान उसकी बडी पुत्री कांता ने घर के अंदर रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका पता जब वह शाम को घर आया तो चला, जिसकी सूचना उसने पुलिस थाना, सराडा को भी उसी दिन दे दी थी। पुलिस ने कार्यवाही कर लाश उसे अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दी। अंतिम संस्कार के बाद उसे भतीजे कांतिलाल ने बताया कि कांता की इंस्टाग्राम आईडी नंबर एमएसकेटीएम 2023 से एक, दो फोटो वायरल हुए हैं, जो विनोद द्वारा किए गए हैं। उसकी पुत्री जीवली ने भी उसे बताया कि जब आप अहमदाबाद मजदूरी करने जाते हो तो उसके बाद रात को विनोद अपने घर आता है और कांता के साथ रात में अवैध संबंध बनाता है और छोटी बहनों को चाकू दिखाकर धमकी देता है कि तूमने हमारे बारे में तुम्हारे पिता या किसी अन्य को बताया तो जान से मार दूंगा, जिससे उसे पूरा विश्वास है कि उसकी पुत्री कांता की इंस्टाग्राम आईडी से आपत्तिजनक फोटो विनोद ने वायरल करके उसे बदनाम किया है जिससे उसकी पुत्री कांता ने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली है। इसके अलावा उसके भतीजे धनराज ने भी विनोद अहारी को उसके घर नहीं आने की बात कहीं और कांता को छोड देने की भी बात कही तो विनोद ने धनराज को भी जान से मारने की धमकी दी है। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना, सराडा में पेश की लेकिन आज तक अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिससे व्यथित होकर यह परिवाद पेश कर रहा है। विनोद ने उसकी पुत्री को शादी का

प्रलोभन देकर उसके साथ धोखे से नाजायज संबंध स्थापित किए तथा आपत्तिजनक फोटो अंतरंग संबंध के इंस्टाग्राम पर वायरल करके उसकी पुत्री को बदनाम किया है जिससे आहत होकर उसकी पुत्री ने आत्महत्या की है, जिसके लिए विनोद पूर्णतया जिम्मेदार है। अन्त में परिवाद पुलिस थाना सराडा को भेजकर प्रकरण दर्ज कराने का निवेदन किया है.....वगैरा। उक्त परिवाद पुलिस अधीक्षक, सलूम्बर द्वारा एसएचओ, पुलिस थाना, को प्रेषित कर निर्देशित किया गया जांच कर विधि सम्मत् कार्यवाही करें, जिस पर पुलिस थाना, सराडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 128/2024 अंतर्गत धारा 306 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रकरण में बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, सराडा में अपराध धारा 306 भा.दं.सं. एवं धारा 67 आई.टी एक्ट में पुलिस थाना, सराडा की ओर से पेश किया गया। धारा 306 भा.दं. सं. का अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण अपर सेशन न्यायालय, सलूम्बर को कमिट किया गया और प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् कालान्तर में सलुम्बर मुख्यालय पर सेशन न्यायालय का सृजन हो जाने से प्रकरण अपर सेशन न्यायालय, सलूम्बर से इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुआ जिस पर सेशन प्रकरण संख्या 61/2025 दर्ज किया जाकर विचारण किया गया तथा अब निस्तारण किया जा रहा है।

2. अपर सेशन न्यायालय द्वारा आरोप के संबंध में विद्वान अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता, अभियुक्त के तर्को को सुनने के पश्चात् अभियुक्त विनोद को दिनांक 12.02.2025 को धारा 306 भा.दं.स. तथा धारा 67 आईटी एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध के आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त पर लगाये गए आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी ड 1 मोहन, पी ड 2 जीवन, पी ड 3 देवीलाल, पी ड 4 नाथुलाल, पी ड 5 छाया, पी ड 6 गुड्डी कुमारी, पी ड 7 मेवा देवी, पी ड 8 लक्ष्मणलाल, पी ड 9 बिंदु देवी, पी ड 10 शिवराम, पी ड 11 रतनसिंह, पी ड 12 देवेन्द्र, पी ड 13 कांति, पी ड 14 डॉ. रामबाबू, पी ड 15 रमेश, पी ड 16

मदनलाल, पी ड 17 मणीलाल, पी ड 18 राजेश कुमार एवं पी ड 19 चांदमल के बयान लेखबद्ध करवाये। अभियोजन पक्ष ने गवाह रतनलाल, धर्मा, ककुआ, प्रदीप, हेमंत लक्ष्मणलाल को तर्क कर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की व दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवायेः—

1. प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट दिनांकित 07.01.207
2. प्रदर्श पी 2 मौका सुरते हालात्
3. प्रदर्श पी 3 पंचायतनामा लाश
4. प्रदर्श पी 4 फर्द सुपुर्दगी लाश
5. प्रदर्श पी 5 फर्द जब्ती जूते वगैरा
6. प्रदर्श पी 6 रिपोर्ट दिनांकित 05.06.2024
7. प्रदर्श पी 7 वायरल दो फोटो
8. प्रदर्श पी 8 धारा 65बी(4) साक्ष्य अधि. का प्रमाण—पत्र
9. प्रदर्श पी 9 नक्शा मौका
10. प्रदर्श पी 10 रिपोर्ट दिनांकित 16.01.2023
11. प्रदर्श पी 11 फर्द पेशकशी फोटो
12. प्रदर्श पी 12 पुलिस उप अधीक्षक का मोहनलाल को जारी पत्र
13. प्रदर्श पी 13 पुलिस बयान गवाह श्रीमती बिन्दु
14. प्रदर्श पी 14 पीएस, सराडा का एमओ, सराडा को जारी तहरीर
15. प्रदर्श पी 15 मृतका कांता की पीएम रिपोर्ट
16. प्रदर्श पी 16 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
17. प्रदर्श पी 17 फर्द जब्ती मोबाईल अभियुक्त विनोद
18. प्रदर्श पी 18 फर्द सीलचिट चस्पा मोबाईल प्रार्थी मोहन
19. प्रदर्श पी 19 फर्द पेशकशी मोबाईल प्रार्थी मोहन
20. प्रदर्श पी 20 चाक एफआईआर
21. प्रदर्श पी 21 डीएसपी, सराडा का एसपी, सलूम्बर को जारी पत्र
22. प्रदर्श 22ए मालखाना रजिस्टर की प्रति
23. प्रदर्श 23 डीएसपी, सराडा का एसपी, सलूम्बर को जारी पत्र

24. प्रदर्श 24, 25 मेटा प्लेटफार्म व्यापार रिकार्ड
25. प्रदर्श 26 लगायत 29 कॉल डिटेल
26. प्रदर्श 30, 31 ग्राहक डेटा

4. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (351बीएनएसएस) लेखबद्व किये गये, जिनमें अभियुक्त ने अपने आपको निर्दोष होना बताया। प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में प्र डी 1 पुलिस बयान मोहन को प्रदर्शित करवाया गया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः–

(1) आया अभियुक्त ने दिनांक 06.01.2024 को या इससे पूर्व किन्हीं दिनांकों को विभिन्न समयों पर मौजा उदई फला बलुआ में परिवादी मोहन की पुत्री कांता के अश्लील फोटो एवं विडियो बनाकर उन फोटो व विडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे मानसिक रूप से प्रताडित कर आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित किया तथा इंस्टाग्राम आईडी से सोशल मिडिया पर उक्त फोटो व विडियो वायरल कर दिए जिससे आहत होकर मृतका कांता देवी ने अपने घर में रस्सी का फंसा लगा कर लटकर आत्हत्या कर ली? इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 306 आईपीसी व धारा 67 आईटी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2) यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी है?

6. उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु के संबंध में विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की बहस सुनी गई।

7. दौराने बहस लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध पीडिता के आपत्तिजनक फोटो प्र पी 7 अभियुक्त द्वारा सोशल मिडिया पर वायरल किया जाना प्रमाणित है। सोशल मिडिया पर उक्त आपत्तिजनक फोटो वायरल होने से मृतक द्वारा आत्हत्या किया जाना भी प्रमाणित है। उक्त आत्महत्या का दुष्प्रेरण अभियुक्त द्वारा किया गया है। यदि अभियुक्त द्वारा उक्त फोटो वायरल नहीं किए

जाते तो पीडिता मानसिक रूप से आहत नहीं होती तथा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित नहीं होती। अभियोजन साक्षियों ने अवधारणीय बिन्दु युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है। अन्त में अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर कठोर दण्ड से दंडित किए जाने का तर्क दिया है।

8. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। इस मामले की मृतका एवं अभियुक्त की सगाई हो रखी थी। मृतका अभियुक्त के साथ विवाह करना चाहती थी और उसके परिवारजन उसकी अन्य जगह शादी करना चाहते थे, इस कारण मृतका ने आत्महत्या की है। अभियुक्त ने मृतका की मृत्यु से पूर्व ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिससे मृतका आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित हुई हो। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अन्त में उन्होंने अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किए जाने का तर्क दिया।

09. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. उक्त अवधारणीय बिन्दु पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार हैः–

11. उक्त अवधारणीय बिन्दु के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से पी ड 1 के रूप में मृतका कांता के पिता परिवादी मोहन को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 06.01.2024 को उसकी पुत्री कांता कुमारी ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली थी, उस दिन वह सुबह बोरी गांव में किसी की मृत्यु होने से वहां 12वें का कार्यक्रम था तो वहां बैठने गया था। उस समय उसकी चारों पुत्रियां घर पर ही थी, उसकी बडी बेटी कांता, जीवी, छाया, गुडिया थी। वह बोरी गांव से शाम को करीब पांच बजे वापस अपने घर पर आया तो उसने देखा कि उस समय तीनों पुत्रियां जो बकरियां चराने दिन में जाती है वे वापस घर पर आ गई थी। तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने घर के उपर जाकर केलू को एक तरफ करके देखा तो उसकी पुत्री कांता बल्ली से रस्सी के फंदे से लटकी हुई थी तो उसने

दरवाजा खोला और पुलिस को सूचना दी, फिर उसके परिवार वाले भी आ गए और पुलिस भी मौके पर आ गई थी। फिर लाश को बल्ली से नीचे उतार कर लाश को हॉस्पीटल ले जाकर पीएम करवाया व लाश उनको सुपुर्द की, उस घटना की रिपोर्ट हमने पुलिस थाना सराडा में दर्ज करवाई। फिर कुछ समय बाद उसकी पुत्री जीवी ने उसे बताया कि आप अहमदाबाद जाते हो तो विनोद नाम का लडका अपने घर पर आता है और अपने घर पर ही सोता है। उसकी दूसरी पुत्रियों को धमकाता है कि यह बात अगर तुमने किसी को कही तो तुमको चाकू से मार दूंगा। उसकी पुत्रियों ने बताया कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री के साथ खींचे नग्न आवस्था में मोबाईल से खींचे फोटो वायरल कर दिए थे। उसकी पुत्री के साथ जबरदस्ती सोता था और खोटा काम करता था, इसी बात से तंग परेशान होकर उसकी बेटी कांता ने आत्महत्या की है। उसने पुलिस थाना सराडा के नाम पर एक रिपोर्ट लिखित रूप में पेश की थी, जो प्रदर्श पी 01 है, मौका सूरत ए हालात मृतका सुश्री कांता की जांच अंतर्गत धारा 174 सीआरपीसी के तहत मुर्तिब किया था जो प्रदर्श पी 02 है, फर्द पंचायतनामा लाश मृतका कांता का प्रदर्श पी 03 है, फर्द सुपुर्दगी लाश मृतका कांता प्रदर्श पी 04 है, घटनास्थल से घटना कारित करने में काम में ली गई रस्सी व मौके पर पडे हुए मृतका के चप्पल को जब्त कर फर्द जब्ती मुर्तिब की जो प्रदर्श पी 05 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त घटना के तीन महिने बाद कार्यवाही नहीं होने व उसकी पुत्री जीवी व उसकी भतीजे धनराज द्वारा अभियुक्त द्वारा पूर्व में की गई गतिविधियों को बताने पर इंस्टाग्राम पर उसकी पुत्री के नग्न अवस्था में फोटो वायरल किए उसके संबध में उसने जिला पुलिस अधीक्षक, सलूम्बर को एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी जो प्रदर्श पी 06 है व उसके साथ वायरल फोटो की फोटोप्रति व आरिजिनल फोटो साथ संलग्न है, वायरल किए गए फोटो की आरिजनल प्रति 2 नग जो पुलिस को पेश किए थे, जो प्रदर्श पी 07 है, प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 65बी (4) साक्ष्य अधिनियम उसके द्वारा दिया गया जो प्रदर्श पी 08 है, है, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 09 है, उसने पुलिस थाना सराडा द्वारा कार्यवाही न करने पर एक दूसरी रिपोर्ट पुलिस थाना सराडा में पेश की थी जो प्रदर्श पी 10 है, दो फोटो जिसकी फर्द प्रदर्श पी 11 है,

उक्त फोटो दस्तावेज पेश करने पर उसे एक सम्मन पुलिस उप अधीक्षक वृत सराडा से प्राप्त हुआ था, जो प्रदर्श पी 12 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उपरोक्त सभी कार्यवाही पुलिस ने उसके समक्ष कर उसके हस्ताक्षर करवाये थे।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि वह करीब तीन चार साल से अपने घर पर ही रहता है। विनोद घर पर आता था, इस बात को लेकर पहले कभी विवाद नहीं हुआ था। विनोद को उसके घर पर उसने खुद नहीं देखा, उसकी बच्ची ने बताया था। यह कहना गलत है कि प्र पी 2 गांव वालों के साथ उसने दी हो, अजखुद कहा कि उसने दी थी। यह कहना सही है कि रिपोर्ट प्र पी 1 में उसकी बच्ची के मोबाईल नंबर नहीं लिखे। यह कहना सही है कि प्र पी 1 में क्या लिखा था, उसे पढकर नहीं बताया था। विडियो वायरल करने वाली आईडी का नंबर आज अनपढ होने से कारण याद नहीं है। पुलिस बयान प्र डी 1 का भाग ए से बी उसने पुलिस को बताया था, अजखुद कहा उस समय उसे कुछ खबर ही नहीं थी, बाद में उसे पुत्री ने बताया तब पता चला। यह कहना सही है कि विनोद के उसके घर आने की जानकारी उसे बेटियों ने दी थी, अजखुद कहा देवीलाल ने भी बताया था। उसे बेटियों व देवीलाल ने उक्त आत्महत्या के बाद में बताया था, पहले नहीं बताया था।

इस प्रकार पी ड 1 जो कि मृतका का पिता है, के कथनों से यह तथ्य उभरकर आता है कि इस गवाह को मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने से पूर्व इस बात की जानकारी नहीं थी कि अभियुक्त इस गवाह के अहमदाबाद होने पर पीछे से इसके घर पर आता था और मृतका के साथ सोता था। इस गवाह को यह भी जानकारी नहीं थी अभियुक्त ने मृतका के आपत्तिजनक फोटो वायरल किए हैं। गवाह को मात्र यह जानकारी थी कि मृतका ने आत्महत्या उसके आपत्तिजनक फोटो सोशल मिडिया पर वायरल होने के कारण की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र पी 1 के अवलोकन से भी यह तथ्य उभकर आता है कि परिवादी द्वारा घटना के ठीक अगले दिन यह रिपोर्ट देते समय परिवादी ने मृतका की मृत्यु का स्पष्ट कारण उसके फोटो वायरल होना बताया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना के दूसरे दिन दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र पी 1 में परिवादी ने मृतका की आपत्तिजनक

फोटो सोशल मिडिया पर वायरल होने के कारण आत्महत्या करना अंकित करते हुए फोटो वायरल करने वाले को जिम्मेदार होना अंकित किया है। परन्तु इसके बावजूद भी तत्कालीन थानाधिकारी श्री राजेश मीणा ने प्रारंभ में यह प्रकरण धारा 174 सीआरपीसी की तहत मृग में दर्ज कर विधि विरूद्ध रूप से आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले को मृग में दर्ज कर धारा 174 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही आरंभ की है। उक्त गवाह प्र पी 1 व प्र पी 6 में अंकित तथ्यों से जिरह में अविचलित रहा है।

12. पी ड 2 के रूप में मृतका कांता के भाई जीवन को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 06.01.2024 को उसकी बहन कांता ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली थी, उस दिन उसके पिताजी मोहनजी बोरी गांव में मौत के कार्यक्रम में गए हुए थे और वह उसकी बहन छाया और गुडिया तीनों बकरियां चराने गई हुई थी। शाम को वापस जब हम घर पर आए तब हमारे पिता जी व हमने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था तो उसके पिताजी ने उपर से केलू खोलकर देखा तो उसकी बहन कांता रस्सी बांधकर फंदे से लटकी हुई थी। फिर पुलिस वाले आए और दरवाजा जो अंदर से बंद था उसको धक्का मारकर खोला। फिर पुलिस वाले और उसके परिवार वाले उसकी बहन को हॉस्पीटल लेकर गए, जहां पर उसका पोस्टमार्टम करवा कर लाश परिवार वालों को सुपुर्द की और फिर उसका दाह संस्कार किया गया। उसकी बहन ने आत्महत्या इसलिए की थी क्योंकि विनोद जब उसके पिताजी अहमदाबाद होते थे तब पीछे से हमारे घर आता था और उसकी बहन कांता के साथ सोता था, मारपीट भी करता था तथा उसने अपनी बहन कांता और स्वयं का नग्न विडियो वायरल कर दिया था इसलिए उसके बहन ने आत्महत्या की थी। विनोद हमें भी जान से मारने की धमकी देता था। यह सभी घटनाक्रम की जानकारी उसने अपने पिताजी को आत्महत्या के तीन महीने बाद दी थी।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि पुलिस ने उससे दो बार पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान उसने बिना किसी दबाव के पुलिस में बयान दिए थे। यह कहना सही है कि उसने पुलिस को पहली पूछताछ

में उपरोक्त बातें नहीं बताई थी। यह कहना सही है कि उसने पुलिस द्वारा प्रथम पूछताछ के समय उक्त घटनाक्रम के बारे में उसके घर वालों को नहीं बताया था।

इस प्रकार इस गवाह के कथनों से भी यह तथ्य उभरकर आता है कि मृतका के पिता जब अहमदाबाद होते थे तब अभियुक्त पीछे से मृतका के घर आता था और उसके साथ सोता था तथा उसने मृतका एवं स्वयं के नग्न विडियो वायरल कर दिए, जिस कारण मृतका ने आत्महत्या की है। जिरह में यह गवाह पूर्णतया अविचलित रहा है।

13. पी ड 3 के रूप में परिवादी के पडौसी देवीलाल को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि बयान दिए हैं कि उसका और मोहनलाल का घर पास पास है। मोहनलाल की पत्नी की आज से करीब 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। मोहनलाल की चार बेटियां है सबसे बडी बेटी कांता उससे छोटी जीवी, उससे छोटी छाया उससे छोटी गुडी है। वह और मोहनलाल दिनांक 06.01.2024 को परिवार में कोई मृत्यु के कार्यक्रम में बोरी गांव गए हुए थे। जब हम शाम को वापस आए तो देखा कि मोहनलाल की बेटी कांता ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और उसने फांसी खा ली है, इसकी जानकारी मृतका के पिता ने घर के उपर केलू को हटाकर अंदर पता किया तो मृतका फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई फिर मृतका को हॉस्पीटल ले गए जहां पर पोस्टमार्टम करा कर लाश उन्हें सुपुर्द की जिसका दाह संस्कार किया। मोहनलाल की लडकी जीवी ने घटना के बारे बताया कि अभियुक्त विनोद पापा घर पर नहीं होते उस समय रात को घर पर आता था और कांता के साथ खोटा काम, व मारपीट करता था और छोटी वाली पुत्रियों को अभियुक्त यह बात किसी को बताने पर मारने की धमकी देता था। कांता के मरने का कारण अभियुक्त की मोबाईल की आईडी से अभियुक्त और कांता के नग्न फोटो वायरल कर दिए थे, उसी बात से परेशान होकर कांता ने आत्महत्या की थी।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि पुलिस ने उससे थाने में पूछताछा नहीं की, बाद में पुलिस घर आई तब आधार कार्ड लिया था। पुलिस ने घर पर कोई पूछताछ नहीं की। विनोद के मोबाईल नंबर व आईडी उसे पता नहीं। यह

कहना सही है कि वह मोहनलाल का पडौसी है। यह कहना गलत है कि उसने अभियुक्त विनोद को मोहनलाल के घर पर आते–जाते नहीं देखा हो। उसने पुलिस को विनोद के मोहनलाल के घर पर आने जाने वाली बात पुलिस को नहीं बताई क्योंकि पुलिस में उसके बयान नहीं हुए है।

इस प्रकार इस गवाह के कथनों से भी यह तथ्य उभरकर आता है कि मृतका के आत्महत्या के बाद उसकी बहन जीवी ने घटना के बारे में इस गवाह को बताया है। जिरह में यह गवाह पूर्णतया अविचलित रहा है।

14. पी ड 4 के रूप में नाथुलाल को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 06.01.2024 को वह और मोहनलाल बोरी गांव में मौत होने से मृत्यु के कार्यक्रम में गए थे। उसी दिन शाम को हम वापस आए तो मोहन मीणा ने उसे बताया कि उसके घर का दरवाजा बंद है, जिस पर हमने जाकर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। फिर मोहनलाल ने उपर चढकर देखा तो पता चला कि उसकी पुत्री कांता बल्ली पर रस्सी से लटकी हुई थी, उसने दरवाजा खोला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई, लाश को उतार कर हॉस्पीटल ले गए, जहां पर पोस्टमार्टम कर लाश हमें अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दी। घटना के करीब दो–तीन महीने बाद मोहन की लडकी जीवन ने हमें बताया कि एक विनोद नाम का लडका रात में कभी भी आ जाता था और उसकी बहन कांता के साथ मारपीट करता है, उसके साथ सोता है और हमें धमकी देता है कि यह बात किसी को बताई तो तुम्हें मार डालूंगा। अभियुक्त विनोद ने लडकी और स्वयं के नग्न फोटो वायरल कर दिए इसी बाद से परेशान होकर कांता ने आत्महत्या कर ली। मौका सूरत ए हालात सुश्री कांता मीणा जांच अतर्गत धारा 174 सीआरपीसी बाबत मुर्तिब किया था, जो प्रदर्श पी 02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 03 है व फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 04 है, घटनास्थल से घटना में काम में ली गई रस्सी व घटनास्थल से मृतका के चप्पल जब्त कर फर्द जब्ती मुर्तिब की, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 09 है। उपरोक्त सभी फर्दों पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उपरोक्त सभी कार्यवाही उसके सामने कर उसके हस्ताक्षर करवाए थे।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह मोहनलाल जी का पडौसी है। पुलिस ने उससे पूछताछ एक बार की थी, जो घटनास्थल पर लडकी

खत्म हुई, उस दिन की थी, उसके बाद कोई पूछताछ नहीं की।। यह कहना सही है कि घटना वाले रोज पुलिस ने जब पूछताछ की थी तब उसने विनोद के बारे में तथा उसके द्वारा मृतका का विडियो वायरल करने आदि के बारे में पुलिस में नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि उसने कोई विडियों, फोटो नहीं देखा हो, अजखुद कहा उसने मृतका के विडियों घटना के तीन माह बाद देखे थे। मृतका के फोटो उसके भाई के बच्चे कांतिलाल के मोबाईल से आए थे।

इस प्रकार इस गवाह ने भी मौका सुरते हाल प्र पी 2, पंचायतनामा लाश प्र पी 3, सुपुर्दगी लाश प्र पी 4, नक्शा मौका घटनास्थल प्र पी 9 को प्रमाणित किया है। इन फर्दों के संबंध में गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों पर कोई जिरह नहीं की गई है। परिणामतः गवाह के उक्त कथन अखंडित रहे है।

15. पी ड 05 के रूप में छाया जो मृतका की बहन है तथा 15 वर्षीय बच्ची है, को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि 06 जनवरी 2024 की बात है। उसकी बहन कांता घर में फांसी पर लटक गई थी, उस दिन उसके पिताजी मोहनलालजी रिश्तेदारी मे मृत्यु होने से वहां गए थे, वह व उसकी बहन बकरियां चराने गए थे। बकरियां चराकर पांच छ बजे वापस आए तब उसके पिताजी भी घर पर आ गए थे। वापस आए तब घर का दरवाजा बंद था। फिर उसके पिता जी ने केलू खोलकर अंदर देखा तो उसकी बहन फांसी पर लटकी हुई थी तो उसके पिताजी ने अंदर उतरकर दरवाजा खोला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई फिर लाश को नीचे उतारा, हॉस्पीटल लेकर गई, जहां पर पोस्टमार्टम करा कर वापस लाए और दाह संस्कार किया। उसकी बहन कांता ने फांसी इसलिए खाई थी क्योंकि विनोद ने उसकी बहन कांता के नंगे फोटो वायरल कर दिए थे। विनोद को वह इसलिए जानती है क्योंकि जब उसके पिताजी काम पर गए होते थे तब विनोद पीछे से घर रात को आता था, जो उसकी बहन के साथ मारपीट करता था, उसके साथ सोता था और उन्हें किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। विनोद घर 10—20 बार आया होगा। उक्त विनोद की बातें उसने अपने पिताजी को कांता की मृत्यु के करीब तीन माह बाद बताई थी, उसकी बहन जीवी ने भी उसके पिताजी को यह बात बताई थी। उसकी बहन कांता विनोद से परेशान होकर मरी है।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि स्कूल में अगर उसके साथ मारपीट करे या डराए, धमकाए तो वह पापा को बतायेगी क्योंकि उसी दिन बता देना चाहिए। यह कहना सही है कि प्रथम बार घटना के दिन पुलिस जब घर आई तब वह घर पर ही थी। यह कहना सही है कि उस समय आस, पडौस के कई सारे लोग घटनास्थल पर आ गए थे। यह कहना सही है कि उस रोज उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उस दिन पुलिस वालों ने उससे भी व सभी से पूछताछ की थी।

इस प्रकार इस गवाह के कथनों से यह तथ्य उभरकर आता है कि अभियुक्त विनोद जब मृतका के पिता घर पर नहीं होते थे तब मृतका के घर आता था, उसके साथ सोता था तथा गलत काम करता था। यह गवाह मृतका की सगी छोटी बहन है। अभियुक्त मृतका की छोटी बहनों के सामने ही तथा इस गवाह के सामने भी अपने कृत्यों को अंजाम दे रहा था तथा इस गवाह ने अभियुक्त के उक्त घटना पूर्व के कृत्यों के बारे में अपने पिता को करीब 03 महिने बाद बताया है, जिसके आधार पर परिवादी द्वारा प्र पी 6 द्वितीय रिपोर्ट अभियुक्त को नामजद करते हुए पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिरह में यह गवाह पूर्णतया अविचलित रही है।

16. पी ड 06 के रूप में मृतका की अन्य बहिन गुड्डी कुमारी उम्र 12 वर्ष को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 06.01.2024 को उसकी बहन कांता ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली थी, उस दिन उसके पापा बोरी गांव रिश्तेदार की मौत होने से कार्यक्रम में गए थे। वह और उसकी बहन छाया और जीवन तीनों बकरियां चराने गई थी। शाम को वापस आए तो उसके पापा भी आ गए थे, उस समय हमारे घर का दरवाजा अंदर से बंद था तो उसके पापा ने केलु हटाकर देखा तो उसकी बहन कांता फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। उसके पापा केलु हटाकर अंदर घुसे दरवाजा खोला, पुलिस को बताया। पुलिस मौके पर आई लाश को उतरवा कर होस्पीटल ले गए, जहां पर पोस्टमार्टम करा कर लाश घर पर लाए और दाह संस्कार किया। विनोद ने उसकी बहन के नग्न अवस्था में फोटो इंस्टाग्राम पर

वायरल कर दिए थे। विनोद उसके पिता बाहर थे, उस समय रात को उनके घर पर आता था और उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। रात को उसके साथ सोता था और उनको यह बात किसी को बताने पर मारने की धमकी देता था। यह सारी बात तीनों बहनों ने उसके पिता को घटना के तीन महिने बाद बताई थी। विनोद उसकी बहन को तंग, परेशान करता था, उसी बात को लेकर उसकी बहन ने आत्महत्या की।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि उसे घर में सबसे अच्छे से रखते थे, पडौसी भी अच्छा रखते है, रोज सबसे बात होती है। यदि कोई उसे स्कूल में डराए, धमकाए या मारपीट करे तो वह उसी दिन पापा को बता दूंगी। जिस समय उसकी बहन ने फांसी खाई, उस दिन वह बकरी चराने गई हुई थी। पुलिस आई तब वह घर पर थी तथा आस–पास के सारे लोग आ गए थे, उस समय वह और उसकी बहनें भी वहीं थी, उस समय पुलिस वालों ने सबसे पूछताछ की थी, उससे भी पूछताछ की थी। घटना के दिन पुलिस को हम बहनों में से फोटो वायरल करने वाली बात पुलिस को नहीं बताई। आस–पास के लोगों को भी फोटो वाली बात नहीं बताई। हमारे फला में यह फोटो वायरल हुई, ऐसी बात चली थी। फोटो वायरल हुई, यह बात कांति ने फोटो बताकर बताई थी।

यह गवाह भी मृतका की छोटी बहन है, इस गवाह ने भी मुख्य परीक्षण में मृतका की मृत्यु अभियुक्त द्वारा जो मृतका के साथ जो कृत्या किया जाता था, उसकी पुष्टि की है। जिरह में यह गवाह अविचलित रही है। इस गवाह ने जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों पर अविश्वास पैदा होता हो।

17. पी ड 7 के रूप में अभियुक्त विनोद की मां मेवा देवी को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि उसके तीन बच्चे है, बडा लडका विनोद है जो उदयपुर में पढाई करता है। विनोद की सगाई दो साल पहले कांता पुत्री मोहनलाल निवासी बलुआ के साथ करवाई गई थी। विनोद कांता से फोन पर बात करता था। कांता कभी–कभी उसके घर पर आती थी, विनोद के साथ कोई बात होती थी तो वह उसे बताता था। उसके लडके

विनोद और कांता के बीच लडाई–झगडा उसने कभी नहीं सुना। विनोद ने उसे बताया कि वो लडकी किसी अन्य जगह शादी करना चाहती है, इसलिए उससे बात नहीं कर रही है। फिर भी कभी–कभी बाते करते थे।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि वह अनपढ है, इसलिए मोबाईल नहीं रखी है। उसके नाम से किसी ने कोई सिम ली हो तो उसे पता नहीं। वह यह नहीं बता सकती कि कांता विनोद से शादी करना चाह रही हो और उसके घर वाले उसकी शादी वहां नहीं करवाना चाह रहे हो तो उसने आत्महत्या की हो।

इस प्रकार इस गवाह के कथनों से यह तथ्य उभरकर आता है कि यह गवाह अभियुक्त की मां है तथा अभियुक्त एवं मृतका की सगाई हो रखी थी परंतु मृतका अन्य जगह शादी करना चाहती थी, इसलिए अभियुक्त से बात नहीं कर रही थी परंतु फिर भी कभी–कभी बात होती थी। इस प्रकार इस गवाह के कथनों से इस बात को बल मिलता है कि अभियुक्त की मृतका से अनबन होने के कारण तथा आपस में सगाई हो रखी होने के कारण अभियुक्त मृतका का पिता घर पर नहीं होने का फायदा उठाकर रात के मृतका के घर जाकर उसके साथ सोता था तथा मृतका की छोटी बहनों को भी धमकाता था तथा अनबन के परिणामस्वरूप ही अभियुक्त ने मृतका को फोटो वायरल किए हैं।

18. पी ड 8 के रूप में लक्ष्मणलाल को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि विनोद उसके भाई प्रतापसिंह का लडका है जो उदयपुर में पढाई करता है। विनोद की सगाई दो साल पहले कांता पुत्री मोहनलाल निवासी बलुआ के साथ हुई थी। विनोद कांता से फोन पर बातचीत करता था। कांता कभी–कभी उसके भाई के घर पर आती थी। विनोद और कांता के बीच लडाई–झगडा उसने कभी नहीं सुना। फिर विनोद ने उसे बताया कि कांता के घरवाले कांता की शादी किसी अन्य जगह कराना चाहते है, यह बात विनोद ने उसकी मां को बताई थी। सालभर से उसका भतीजा विनोद कांता से बात नहीं कर रहा था। विनोद के पास जो फोन था वो नंबर मेरी बहू के नाम से है। लडकी ने आत्महत्या किस कारण की, उसे नहीं पता।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि विनोद जिस मोबाईल से बात करता था, उस मोबाईल की सिम किसके नाम से थी, उसे नहीं पता। उसकी बहु के पास कोई मोबाईल नहीं है। यह वह नहीं कह सकता कि कांता विनोद से शादी करना चाह रही हो और उसके घरवाले उसकी शादी वहां नहीं करवाना चाह रहे हो तो उसे नहीं पता, इसी कारण से उसने आत्महत्या की हो तो वह नहीं कह सकता।

इस प्रकार इस गवाह के कथनों से यह तथ्य उभरकर आता है कि यह गवाह अभियुक्त का चाचा है तथा अभियुक्त एवं मृतका की आपस में सगाई होकर अनबन चल रही थी। इस प्रकार इस गवाह के कथनों से भी इस बात को बल मिलता है कि अभियुक्त ने नाराजगीवश मृतका के आपत्तिजनक फोटो वायरल किए हैं।

19. पी ड 9 के रूप में बिंदु को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। इसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि विनोद उसका भाई, जिसके मोबाईल नंबर उसे याद नहीं है। सिम किसके नाम पर थी, उसे नहीं पता। उसका आधार कार्ड विनोद ने लिया हो तो भी उसे नहीं पता। लोक अभियोजक द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवाकर जिरह की गई तो इसने जिरह में स्वयं के पुलिस बयान प्र पी 13 का ए से बी भाग नहीं लिखाना बताया। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसने कभी उसके भाई विनोद को कोई सिम या सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड नहीं दिया है।

यह गवाह अभियुक्त की बहन है तथा पक्षद्रेही रही है। चूंकि अभियुक्त की बहन होने के कारण इस गवाह का पक्षद्रोही होना मानवीय स्वभाववश संभव प्रतीत होता है।

20. पी ड 10 के रूप में शिवराम को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि विनोद उसके भाई प्रतापसिंह का लडका है जो उदयपुर में पढाई करता है। विनोद की सगाई दो साल पहले कांता पुत्री मोहनलाल निवासी बलुआ के साथ हुई थी। विनोद कांता से फोन पर बातचीत करता था। कांता कभी–कभी उसके भाई के घर पर आती थी। विनोद और कांता

के बीच लडाई–झगडा उसने कभी नहीं सुना। फिर विनोद ने उसकी मां को बताया कि कांता विनोद से आजकल बात नहीं करती है, उसके घर वाले उसकी शादी किसी और जगह कराना चाहते है। सालभर से उसका भतीजा विनोद कांता से बात नहीं कर रहा था। विनोद के पास जो फोन था वो नंबर उसकी बहू के नाम से है। लडकी ने आत्महत्या किस कारण से की उसे नहीं पता। विनोद और कांता के बीच अनबन की बात उसने कभी नहीं सुनी।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि विनोद जिस मोबाईल से बात करता था, उसका मोबाईल की सिम किसके नाम से थी, उसे नहीं पता। उसकी बहु के पास कोई मोबाईल नहीं है। यह वह नहीं कह सकता कि कांता विनोद से शादी करना चाह रही हो और उसके घर वाले उसकी शादी वहां नहीं करवाना चाह रहे हो तो उसे नहीं पता, इसी कारण से ही उसने आत्महत्या की हो तो भी वह नहीं कह सकता।

इस प्रकार इस गवाह के कथनों से भी प्रकट होता है कि अभियुक्त व मृतका की सगाई होकर आपस में अनबन चल रही थी, जो इस बात को बल देता है कि उक्त अनबन के परिणास्वरूप ही अभियुक्त ने मृतका के फोटो वायरल किए हैं।

21. पी ड 13 के रूप में कांति को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 06.01.2024 की बात है। कांता उसके चाचा की लड़की ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी। कांता ने आत्महत्या इसलिए की थी क्योंकि उसके कुछ गंदे फोटो व विडियो वायरल हो गए थे। उसने विडियो व फोटो देखे थे। यह फोटो व विडियो शायद विनोद ने वायरल किए थे। बाद में उसने सुना था कि कांता व विनोद का अफेयर था।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि जो वायरल फोटो व विडियो उसने देखे थे, उसमें लडके का चेहरा सामने स्टीकर होने के कारण नहीं दिख रहा था तथा लडकी कांता का फोटो साफ दिख रहा था। यह वह नहीं बता सकता कि विडियो किसने वायरल किए। किस नंबर से वायरल हुए, उसे नहीं पता। आईडी पर फोटो आए थे, किस आईडी पर आए थे उसे नहीं पता।

उसने उसका मोबाई पुलिस वालों को नहीं दिया। इस प्रकार इस गवाह ने भी अभियोजन कहानी की पुष्टि की है।

22. पी ड 11 के रूप में रतन सिंह को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में दिनांक 07.01.224 को मृतका की लाश का मौका सूरत ए हालात प्र पी 2 मूर्तीब करने तथा मौके पर पडे जूते व फांसी की रस्सी को जब्त कर फर्द प्र पी 5 मूर्तिब करने का कथन किया है।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसके द्वारा मौके सूरते हालात मूर्तिब किया तब मौके पर खडे किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं बोला कि मृतका को किसी ने परेशान किया हो और उस कारण उसने आत्महत्या की हो। यह कहना सही है कि 174 सीआरपीसी के अनुसंधान में आत्महत्या का ही पाया था व आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला उसके सामने नहीं आया था।

इस प्रकार इस गवाह ने मृतका द्वारा आत्महत्या करना पुष्ट किया है। हालांकि इस गवाह ने यह प्रकरण धारा 174 सीआरपीसी के तहत मृग जांच के अधीन रहते केवल मृग की जांच की हैं। आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही इस गवाह द्वारा मृग का अनुसंधान किया गया है, जिस कारण इस गवाह ने जिरह में कथन किया है कि उसने केवल आत्महत्या का मामला पाया था। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला उसके सामने नहीं आया। परंतु यहां उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार स्वयं परिवादी एवं अभियोजन साक्षियों ने कथन किया है। हस्तगत अभियुक्त द्वारा मृतका के फोटो वायरल करने की जानकारी परिवादी को घटना के करीब 03 बाद हुई है, ऐसी परिस्थिति में पी ड 11 के समक्ष हस्तगत अभियुक्त के कृत्यों का खुलासा नहीं होना स्वभाविक प्रतीत होता है।

23. पी ड 12 के रूप में देवेन्द्र को पेश कर परीक्षित करवाए गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि 06.01.2024 की बात है वह और मोहन बोरी गांव बैठने गए थे, फिर जब गांव वापस आए तो पता चला कि कांता फांसी लगाकर अपने ही मकान में मर गई थी। पुलिस ने उसके सामने लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 03 तैयार किया था जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है।

बाद पोस्टमार्टम लाश जरिये सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 04 सुपुर्द की गई थी जिस पर इसे एफ उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल से एक जोडी जूते, मृतका की लाश तथा एक प्लास्टिक की रस्सी जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 5 बरामद की थी जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 09 बनाया था जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि प्र पी 9 बनाया गया तब वहां गांव परिवार के सभी लोग थे। यह कहना सही है कि प्र पी 3, 4, 5 बनाते समय तक यह बात उसके सामने नहीं आई थी कि मृतका ने किसी परेशान या दबाव में आत्महत्या की हो।

इस प्रकार इस गवाह ने प्र पी 3 लगायत व 8 व प्र पी 9 की पुष्टि की है। इस गवाह को भी अभियुक्त के कृत्य की जानकारी बाद में हुई है।

24. अभियोजन पक्ष की ओर से पी ड 14 के रूप में डॉ. रामबाबू शर्मा को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि वह दिनांक 07.01.2024 को सीएचसी, सराड़ा पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत था, उस रोज उसे थानाधिकारी सराड़ा की मृतका कांता पुत्री मोहन मीणा निवासी बलुआ की लाश का पोस्टमार्टम करा रिपोर्ट दिलाने बाबत तहरीर प्राप्त हुई जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त तहरीर के आधार पर उसके द्वारा मृतका कांता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई, जो प्रदर्श पी 15 है जिस पर सी से डी उसके द्वारा दी गई राय है ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मृतका गर्दन के चारों तरफ रस्सी के गढनें के निशान थे, रस्सी की गांठ का निशान दांए कान के पीछे की तरफ पाया गया। गर्दन की जगह खोलकर देखने पर हाइओड बोन टूटी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की बाहरी व आंतरिक जांच करने पर पाया कि मृत्यु का कारण मरने से पहले लटकने की वजह से दम घुटना है।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि मृतका के शरीर पर चोटों के निशान नहीं थे। यह कहना सही है कि प्र पी 15 में यह अंकित नहीं है कि जिस रस्सी से निशान आया था, वह प्लास्टिक की थी या कपडे की थी।

इस प्रकार इस गवाह के कथनों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि मृतका की मृत्यु रस्सी से फंदा लगाने के कारण दम घूटने से हुई है।

25. पी ड 15 के रूप में रमेश कुमार को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 05.10.2024 को पुलिस थाना सराड़ा में वृत कार्यालय सराड़ा में कानि. के पद पर तैनात था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थी मोहनलाल मीणा द्वारा पेश फोटो की फर्द पेशकशी प्रदर्श पी 11 मुर्तिब की गई जिस पर सी से डी उसके बतौर गवाह हस्ताक्षर है। दिनांक 25.12.2024 को उक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा थाना सराड़ा में अभियुक्त विनोद की गिरफ्तारी की गई जिसकी फर्द प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी उसके बतौर गवाह हस्ताक्षर है। उसी दिन अभियुक्त विनोद से अनुसंधान अधिकारी द्वारा मोबाईल फोन जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 17 बनाई गई जिस पर एक्स स्थान पर नमुना सील अंकित है, ए से बी उसके बतौर गवाह हस्ताक्षर है। प्रार्थी मोहन द्वारा पेश मोबाइल चीटचस्पा कर मार्क ए अंकित किया गया जिसकी फर्द प्रदर्श पी 18 अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुर्तिब की गई जिस पर ए से बी प्रार्थी मोहन, सी से डी उसके बतौर गवाह हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमुना सील अंकित है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थी मोहन द्वारा पेश मोबाईल की फर्द पेशकशी प्रदर्श पी 19 मुर्तिब की गई जिसे सीलचिट कर मार्क ए अंकित किया गया, जिसके एक्स स्थान पर नमूनासील, ए से बी उसके बतौर गवाह हस्ताक्षर है।

जिरह में इस गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों पर अविश्वास पैदा होता हो।

26. पी ड 16 के रूप में मदनलाल को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 05.06.2024 को वृत्ताधिकारी, सराड़ा के पद पर कार्यरत था, उस दिन प्रार्थी मोहनलाल ने पुलिस अधीक्षक, सलूम्बर को एक लिखित परिवाद पेश किया जो थाना सराड़ा को प्राप्त हुआ जो प्रदर्श पी 06 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 20 है। तत्पश्चात प्रकरण दर्ज किया और अनुसंधान उसने अपने जिम्मे लिया। दौराने अनुसंधान सुश्री जीवन कुमारी, छाया कुमारी, गुड्डी, देवीलाल, मोहनलाल, नाथूलाल, श्रीमति मेवा, लक्ष्मण, शिवराम

के बयान उनके कहे अनुसार कथन लेखबद्ध किए गए। दिनांक 03.08.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक, सलूम्बर को मो0 नं 6367761992 के दिनांक 07.12.2023 से 07.01.2024 तक का सीडीआर चाहने बाबत एक तहरीर भेजी गई जो प्रदर्श 21 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कॉल डिटेल शामिल पत्रावली की। दिनांक 05.10.2024 को प्रार्थी मोहनलाल द्वारा उसकी पुत्री मृतका कांता की इंस्टाग्राम आईडी पर वायरल फोटो पेश किए जिसकी फर्द पेशकशी प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के व इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दोनों फोटो प्रदर्श पी 07 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

जिरह में इस गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र पी 1 की जांच एसएचओ राजेश कुमार द्वारा की जाकर मृग प्रमाणित पाया गया था परंतु बाद में मृतका के पिता को उसके भतीजे द्वारा फोटो वायरल की जानकारी देने पर परिवादी ने पुनः पुलिस में रिपोर्ट पेश की है। इस प्रकार इस गवाह के कथनों से अभियोजन पक्ष की इस कहानी को बल मिलता है कि परिवादी द्वारा प्र पी 1 पेश करते समय अभियुक्त के कृत्य की जानकारी उसे नहीं थी। अभियुक्त द्वारा मृतका के आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की जानकारी होने के पश्चात् ही परिवादी द्वारा पुनः पुलिस के समक्ष प्र पी 6 पेश की गई थी।

27. पी ड 17 के रूप में मणीलाल को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 25.12.2024 को वह पुलिस थाना, सराड़ा में मालखाना प्रभारी के पद पर कार्यरत था, उस दिन थाने के प्रकरण संख्या 128/24 के अनुसंधान अधिकारी चांदमलजी ने प्रकरण में जब्तशुदा कुल दो आर्टीकल सीलचिटशुदा मार्क ए व बी मालखाना में जमा कराए थे, जिस पर एसएचओ पीएस सराड़ा की सील लगी थी का इंद्राज मालखाना रजिस्टर प्रदर्श 22 के क्रम संख्या 148 के ए से बी भाग पर किया जिस पर ए से बी चार जगह उसके हस्ताक्षर है जिसकी फोटो प्रति साथ लाया है, जो प्रदर्श पी 22ए है।

इस प्रकार यह गवाह जब्तशुदा आर्टिकल मालखाने में जमा करने का औपचारिक गवाह है।

28. पी ड 18 के रूप में राजेश कुमार को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 07.01.2024 को वह पुलिस थाना सराड़ा में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था, उस दिन प्रार्थी मोहन ने एक टाइपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 मोर्चरी सीएचसी सराड़ा पर उसके समक्ष पेश की जिस पर ए से बी प्रार्थी मोहन के हस्ताक्षर, सी से डी उसके द्वारा की गई पुलिस कार्यवाही का अंकन है, इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। थाने पर पहुंच कर प्रकरण दर्ज कर सीसी टीएनएस पर मर्ग संख्या 01/2024 दर्ज की जिसका अंकन प्रदर्श पी 01 के जी से एच भाग पर किया गया। फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 03 मुर्तिब किया गया जिस पर एम से एन उसके हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 04 मुर्तिब कर लाश मृतका के पिता मोहन को सुपुर्द की ए से बी मृतका के पिता मोहन के जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया जो प्रदर्श पी 06 है जो जरिये डाक थाने पर प्राप्त हुआ जिस पर सी से डी पुलिस कार्यवाही का अंकन व इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 13.01.2024 को उसके द्वारा प्रार्थी मोहन की निशानदेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल प्रदर्श पी 09 मुर्तिब की गई जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मृतका कांता की लाश का शव परीक्षण कराने हेतु चिकित्साधिकारी सीएचसी सराडा को दी गई तहरीर प्रदर्श पी 14 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 20 शामिल पत्रावली है। गवाहान मोहन, देवेंद्र, जीवन कुमारी, नाथू, रतनलाल, नाथू पिता शंकर के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए गए।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि उसने जिन गवाहों के बयान लिए हैं, उनमें किसी भी गवाह ने अभियुक्त पर मृतका को प्रताडित कर आत्महत्या के लिए उकसाने का नहीं कहा था। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह गवाह घटना के समय थानाधिकारी पुलिस थाना, सराडा के पद पर कार्यरत था। पी ड 1 परिवादी मोहन की साक्ष्य के विश्लेष्ण के दौरान जिस प्रकार पहले ही विवेचन किया जा चुका है, उस प्रकार इस गवाह का कृत्य प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र पी 1 पेश करते

समय ही घोर उपेक्षापूर्ण तथा विधि विरूद्ध रहा है। प्र पी 1 में धारा 306 आईपीसी तथा धारा 67 आईटी एक्ट के अपराध के तथ्यों का समावेश होने के बावजूद इस गवाह ने विधि विरूद्ध जाकर धारा 174 सीआरपीसी के तहत मृग में प्रकरण दर्ज किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह का अनुसंधान मृग मामले की ओर जाना स्वभाविक था। इस गवाह के उपेक्षापूर्ण कृत्य तथा विधि विरूद्ध कृत्य के संबंध में विभागीय कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, सलूम्बर को लिखा जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है।

29. पी ड 19 के रूप में चांदमल को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 10.10.2024 से वह वृत्ताधिकारी सराडा के पद पर तैनात था, पुलिस थाना सराड़ा के प्रकरण संख्या 128/2024 पत्रावली उसके जिम्मे होने से प्रकरण का अनुसंधान आरंभ किया। दौराने अनुसंधान बयान गवाहान के कहेअनुसार उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए। प्रार्थी मोहनलाल द्वारा एक मोबाइल फोन पेश किया गया जिसकी फर्द पेशकशी मोबाइल प्रदर्श पी 19 है जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। उक्त जब्तशुदा मोबाइल को चिट चस्पा करने की फर्द प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी प्रार्थी मोहन मीणा, जी से एच उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। प्रार्थीया कांता के मोबाइल नं 6367761992 की कॉल डिटेल, टॉवर लोकेश हेतु तत्कालीन सीओ मदनलाल द्वारा एक तहरीर एसपी साहब को दी गई जो प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी तत्कालीन सीओ मदनलालजी के हस्ताक्षर है। प्राप्त सी.डी.आर. शामिल पत्रावली है। साइबर सेल सलूंबर द्वारा इंस्टाग्राम आई.डी. एवं मोबाइल नं. 9358435172 के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साइबर मेटा प्लेटफॉर्म मार्फत साइबर सेल द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 24 लगायत 31 भिजवाई गई जिन सभी रिपोर्टो पर ए से बी शामिल पत्रावली करने का पृष्ठांकन किया गया, सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में अभियुक्त विनोद मीणा को जरिये प्रदर्श पी 16 गिरफ्तार किया गया जिस पर सी से डी मुल्जिम के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। विनोद मीणा द्वारा प्रकरण में उपयोग किया मोबाइल वीवो कंपनी का जब्त किया गया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 17 है जिस पर सी से डी अभियुक्त

विनोद, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रार्थी मोहनलाल द्वारा 65(बी)(4) साक्ष्य अधि. का प्रमाण पत्र दिया गया जो प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी मोहन के हस्ताक्षर, सी से डी उसके द्वारा शामिल पत्रावली किए जाने का अंकन व हस्ताक्षर है। प्रकरण के संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात मुल्जिम विनोद के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाए जाने से तत्कालीन थानाधिकारी हेमंत कुमार द्वारा चार्जशीट किता कर न्यायालय में पेश की गई, जिनके हस्ताक्षर वह साथ काम करने से पहचानता है।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि प्रार्थी ने जब फोटो पेश किए थे, उस समय उसके द्वारा पेश मोबाईल में फोटो नहीं थे, अजखुद कहा कि प्रार्थी ने बताया था कि उसने फोटो डवलप कराकर डिलीट कर दी है। यह कहना सही है कि उसने फोटो रिकवर कराने की कोई कार्यवाही नहीं की।

30. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उक्त विवेचन के पश्चात् प्रकट होता है कि दिनांक 06.01.2024 को मृतका द्वारा आत्महत्या कर लेने पर दिनांक 07.01.2024 को सीएचसी, सराडा में मृतका के पिता ने धारा 306 आईपीसी तथा 67 आईटी एक्ट के अपराध के घटकों का समावेश करते हुए अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र पी 1 पेश की थी, जिस पर तत्कालीन थानाधिकारी पी ड 18 राजेश कुमार मीणा ने विधि विरूद्ध तरीके से मृग का मामला दर्ज कर अनुसंधान कर दौराने अनुसंधान पंचनामा लाश प्र पी 3, फर्द सुपुर्दगी लाश प्र पी 4 तैयार की है तथा रतन सिंह एएसआई द्वारा मौका सुरते हालात् लाश प्र पी 2 व फर्द जब्ती प्लास्टिक रस्सी प्र पी 5 तैयार करते हुए मामले को अकाल मौत मानते हुए उसी दिशा में अनुसंधान आरंभ किया गया है तत्पश्चात् परिवादी के भतीजे व पुत्रियों द्वारा अभियुक्त के कृत्यों के बारे में बताये जाने पर परिवादी द्वारा अभियुक्त को नामजद करते हुए द्वितीय रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्र पी 6 पेश की गई है, जिस पर यह प्रकरण दर्ज होकर मृग अनुसंधान की फर्दों को अभिलेख पर लेते हुए दौराने अनुसंधान परिवादी का धारा 65-बी साक्ष्य अधि. का प्रमाणपत्र लेते हुए उसके द्वारा पेश फोटो प्र पी 7 को अभिलेख पर लेते हुए बाद अनुसंधान आरोपपत्र पेश किया गया है। प्र पी 7 में दिख रहे फोटो से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि मृतका के साथ एक पुरूष, जिसका

कि चेहरा एक स्टीकर से ढका हुआ है तथा मृतका का आपत्तिजनक फोटो साफ दिख रहा है, उसमें मृतका की भाव, भंगिमा ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे कि उसके साथ जबरदस्ती की जा रही हो। अभियोजन कहानी से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित हुआ है कि जब मृतका का पिता घर पर नहीं होता था तब अभियुक्त मृतका के घर पर रात्रि को आता था, उसके साथ सोता था। चूंकि मृतका स्वयं अभियुक्त की माता के कथनों के अनुसार अभियुक्त की बजाय अन्य जगह शादी करना चाहती थी, इस कारण अभियुक्त मृतका से नाराज था परन्तु अभियुक्त व मृतका की सगाई हो रखी थी तथा रिश्ता टूटा नहीं था और मृतका के घर पर उसका पिता व कोई जिम्मेदार वयस्क पुरूष न होने का नाजायज फायदा उठाकर अभियुक्त ने पीडिता के साथ उसके घर पर रात्रि को उसके साथ सो कर उसके आपत्तिजनक फोटो प्र पी 7 में दर्शित दो फोटो स्वयं मृतका के मोबाईल से दुर्भावनावश सोशल मिडिया पर वायरल किए है, जिनसे आहत व कुण्ठित होकर मृतका ने आत्महत्या का कदम उठाया है तथा अभियुक्त ने मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अवधारणीय बिन्दु संख्या 01 संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अवधारणीय बिन्दु संख्या 01 अभियुक्त के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है तथा अभियुक्त विनोद को आरोपित अपराध धारा 306 आईपीसी तथा धारा 67 आईटी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

31. अतः अभियुक्त विनोद कुमार पिता प्रतापसिंह, जाति मीणा, निवासी—उगमणा कोटडा फला कदवाल, थाना ऋषभदेव, जिला—उदयपुर(राज.) को धारा 306 आईपीसी तथा धारा 67 आई.टी. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(रामेश्वर प्रसाद चौधरी)
सेशन न्यायाधीश,
सलुम्बर(राज.)

32. **दण्डादेश के बिन्दु पर सुनवाईः—**

(1) दण्डादेश के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना गया। दौराने बहस अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है और वह गरीब अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। अभियुक्त ने 2024 से लगातार अन्वीक्षा का सामना किया है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे।

(2) दौराने बहस लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया है कि मृतका एवं अभियुक्त के मध्य सगाई हो रखी थी और सगाई के दौरान अभियुक्त ने परिवादी की गैर मौजूदगी में मृतका के साथ शारीरिक संबंध बनाये और संबंधों के फोटोग्राफ खींचे, उसके बाद मृतका के द्वारा अन्य जगह शादी करने की बात पर नाराज होकर अभियुक्त ने मृतका के फोटो सोशल मिडिया पर वायरल कर गंभीर किस्म का अपराध कारित किया है, इसलिए अभियुक्त नरमी बरते जाने की पात्र नहीं है। उसे उचित दण्ड से दंडित किया जावे।

(3) दण्ड के बिन्दु पर दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(4) इस मामले में की पत्रावली पर यह तथ्य आया है कि अभियुक्त एवं मृतका की सगाई हो रखी थी। मृतका का पिता जब बाहर होता था तब अभियुक्त मृतका की छोटी नाबालिग बहनों की उपस्थिति में मृतका के घर जाता था तथा मृतका की बहनों को डरा, धमका कर वह मृतका के साथ सोता था और अभियुक्त ने मृतक के साथ सोते समय के फोटो खींचे। उपरांत में मृतका एवं अभियुक्त के मध्य अनबन हो जाने से तथा मृतका की अन्य जगह शादी करने की चर्चा चलने पर अभियुक्त इस बात से नाराज हो गया और उसने मृतका के साथ सोये हुए फोटो को सोशल मिडिया पर वायरल कर दिया, जिससे मृतका काफी परेशान एवं कुण्ठित हुई और उसने स्वयं के घर में अकेले रहने के दौरान रस्सी से फंदा बनाकर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसी स्थिति में इस मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को उक्त दोषसिद्ध अपराधों के लिए समुचित दण्ड से दंडित किया जाना न्यायोचित है।

(5) अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध धारा 306 आईपीसी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में 05 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000/—रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्ता को 01 का माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताया जावे।

(6) चूंकि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 67 आईटी एक्ट के तहत पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज होकर उसमें सजायाब होने का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभियुक्त को दोषसिद्ध प्रथम अपराध धारा 67 आईटी एक्ट के तहत

दण्डनीय अपराध के आरोप में 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000/–रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 01 का माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताया जावे।

(7) अभियुक्त की उक्त दोनों सजाएं साथ–साथ चलेगी

(8) उक्तानुसार ही अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जावे।

(9) यदि अभियुक्त के द्वारा पूर्व में कोई पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि व्यतीत की गई है तो उसे धारा 428 जा.फौ. के तहत उसकी मूल सजा में से मूजरा किया जावे।

(10) अभियुक्त द्वारा जुर्माना राशि जमा कराने पर बतौर प्रतिकर पीडिता परिवादी को अदा की जावे।

(11) अभियुक्त ओर से धारा 437(ए) Cr.P.C.के अन्तर्गत जमानत, मुचलके विगत पेशी पर प्रस्तुत कर तस्दीक कराये जा चुके हैं।

(12) प्रकरण में जब्तशुदा जूते, रस्सी व अन्य कोई वजह सबूत हो तो वह बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किए जावे।

(13) निर्णय की एक प्रति एस.पी., सलूम्बर को प्रेषित कर राजेश कुमार, तत्कालीन थानाधिकारी, सराडा के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करने बाबत् लिखा जावे।

निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

(रामेश्वर प्रसाद चौधरी)
सेशन न्यायाधीश
सलुम्बर (राज.)

33. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर उद्घोषित किया गया।

(रामेश्वर प्रसाद चौधरी)
सेशन न्यायाधीश
सलुम्बर (राज.)